राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांकःएफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2019/208 दिनांकः 07.01.2020

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) (पंचायत) राजस्थान।

विषय :– पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 – उप सरपंच पद के मतपत्रों के संबंध में।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने पत्रांक 5761 दिनांक 05.12.2019 के द्वारा सरपंच एवं पंच पद तथा पत्रांक 5742 दिनांक 05.12.2019 के द्वारा उप सरपंच पद के मतपत्र का प्ररूप विहित किया हुआ है। उप सरपंच पद का प्ररूप सरपंच पद के अनुरूप ही है।

विगत आम चुनावों में पंच एवं सरपंच दोनों पदों के लिए मतदान मतपेटी से संपादित होने के कारण सरपंच पद हेतु तैयार किए गए मतपत्रों का उपयोग उप सरपंच पद के चुनाव हेतु सरपंच शब्द के आगे 'उप' शब्द लिख कर लिया जाता था किन्तु आगामी आम चुनाव में सरपंच पद के लिए निर्वाचनों में ईवीएम का उपयोग किया जाएगा, इसलिए सरपंच पद के मतपत्रों का उपयोग उप सरपंच निर्वाचन के लिए किया जाना संभव नहीं होगा।

अतः उप सरपंच पद के मतपत्रों को तैयार करने हेतु आयोग द्वारा निम्नलिखित निर्देश प्रदान किए जाते है :–

1. उप सरपंच पद के निर्वाचन के लिए मतपत्र सफेद कागज पर होगा।

2. उप सरपंच पद के मतपत्र आयोग के पत्रांक 5742 दिनांक 05.12.2019 के द्वारा विहित किए गए प्ररूप के अनुसार तैयार कराए जाएगे, जिसमें अभ्यर्थियों के नाम का स्थान रिक्त रखा जाएगा एवं सिर्फ चुनाव चिन्ह अंकित होंगे।

3. उप सरपंच के निर्वाचनों में सरपंच पद के लिए निर्धारित प्रतीकों का क्रम संख्या 01 से आगे तक आवश्यकता के अनुसार उपयोग किया जायेंगा।

4. मतपत्र में चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों के पश्चात् अंत में नोटा का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। इस हेतु नोटा (इनमें से कोई नहीं) के लिए निर्धारित प्रतीक चिन्ह् के स्टीकर का उपयोग किया जाएगा। अतः मुदित कराए जाने वाले स्टीकरों की संख्या का आंकलन कर स्टीकर का मुद्रण यथा समय करा लेवें।

5. मतपत्र में पांच अभ्यर्थियों के लिए पैनल अंकित किए जायेंगे, जिनमें यथा स्थान प्रतीक चिन्ह अंकित किए जाएगें, किन्तु अभ्यर्थियों के नाम का स्थान रिक्त रखा जाएगा। चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए नोटा के प्रतीक चिन्ह का स्टीकर **अंतिम उम्मीदवार के तुरन्त बाद वाले पैनल में अंकित चिन्ह के ऊपर चिपकाया जाएगा। इसके सामने एवं अभ्यर्थी के नाम वाले रिक्त स्थान पर नोटा (इनमें से कोई नहीं) अंकित किया जाएगा।**

6. चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की संख्या चार से अधिक होने की स्थिति में मतपत्र संबंधित पंचायत के रिटर्निंग अधिकारी की निगरानी में कम्प्यूटर से तैयार करवा लिए जाए।

7/1

7. उप सरपंच पद के लिए निर्वाचन में वार्ड पंच तथा सरपंच भाग लेंगे। ग्राम पंचायत में पंच एवं सरपंच की कुल संख्या में 5 जोडकर मतपत्र मुद्रित कराये जायें। उदाहरण के लिए किसी ग्राम पंचायत में 06 वार्ड है तो सरपंच सहित 7 मतपत्रों की आवश्यकता होगी तो वहां 12 मतपत्र मुद्रित कराये जायेंगे।

8. जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी उप सरपंच पद के लिए उपयोग में लिए जाने वाले मतपत्र के प्ररूप में अंकित प्रतीक चिन्हों का सही मुद्रित होना प्रमाणित करेगा।

अतः उप सरपंच पद के मतपत्रों के लिए उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह राजपुरोहित)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एंव सचिव

क्रमांकःएफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2019/209 दिनांकः 07.01.2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. रिटर्निंग अधिकारी, ग्राम पंचायत, मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।

(अशोक कुमार जैन)
उपसचिव